प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0–नि0नि0ब0(कैम्प)/2018/544 **लखनऊ : 26 जुलाई, 2018**

विषयः ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को आम जनमानस को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य सहभागिता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही होंगे कि आम जनमानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–698.91.2017, दिनांक 27.10.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के आधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त 9 सेवायें चयनित है जिनमें से निम्न 05 सेवाऐं जनपदों में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा मैनुअल रूप में प्रदान की जा रही है।

1. क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण
2. विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन
3. असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान
4. उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन
5. सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समस्त 09 सेवाओं को ऑनलाइन कर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर दिया गया है, इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश (संख्या 957/सेक–2–पांच–18–7(50)/2018 दिनांक 26 जून 2018) द्वारा आदेश भी निर्गत किये जा चुके है।

अब नागरिक जनहित से संबंधित सेवाओं हेतु प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों एवं स्वयं के माध्यम से नवीन विकसित पोर्टल से आवेदन कर सकते है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नवीन विकसित पोर्टल से आये आवेदनों को समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन प्रोसेस किये जाने हेतु **प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01.08.2018, 02.08.2018 एवं 03.08.2018 को जनपदवार दो पालियों में सभागार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ में निम्न तालिकानुसार आयोजित किया जायेगाः–**

प्रशिक्षण तिथि	मण्डल	जनपदों के नाम	शिफ्ट	समय
01/08/2018	गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़	देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, मऊ	प्रथम पाली	10:00 AM -1:30 PM
	इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्जापुर	इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र	द्वितीय पाली	02:30 PM -6:00 PM
02/08/2018	झांसी, कानपुर, चित्रकूट	जालौन, झांसी, ललितपुर, औरय्या, इटावा, फररुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा	प्रथम पाली	10:00 AM -1:30 PM
	फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती	अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर	द्वितीय पाली	02:30 PM - 6:00 PM
03/08/2018	आगरा, अलीगढ़, मेरठ	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, हाथरस, कासगंज, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ	प्रथम पाली	10-00 AM 01-30 PM
	मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर	अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली	द्वितीय पाली	02:30 PM -6:00 PM
	18 मण्डल	75 जनपद		

अतः समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी निम्न प्रारुपानुसार अपने कार्यालय से उपर्युक्त 05 सेवाओं हेतु अधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण हेतु नॉमित करते हुए अपने स्तर से संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आदेश निर्गत करें।

समस्त मण्डलीय अपर निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जनपद ...., उत्तर प्रदेश			
क्र. सं.	**मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों से प्रदान किये जाने वाली सेवाओं के नाम**	**अधिकारी का नाम, दूरभाष संख्या एवं ई–मेल आई0 डी0**	**डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम, दूरभाष संख्या एवं ई–मेल आई0 डी0**
1	क्लीनिकल / मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण		
2	विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन		
3	असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान		
4	उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन		
5	सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन		

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नॉमित अधिकारी, एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने से सम्बन्धित सेवाओं की सम्पूर्ण जानकारी रखता हो एवं प्रशिक्षण स्थल पर समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश के साथ उपस्थित हो।

नोट– 1. टी0ए0/डी0ए0 सम्बन्धित कार्यालय से आहरित होगा।

2. अपने कार्यालय से उपर्युक्त सेवाओं हेतु नामित नोडल अधिकारी एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर की सूचना प्रशिक्षण से पूर्व निदेशक, नियोजन एवं बजट की मेल आई–डी– directorplanbudget@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध करायें।

भवदीय,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

पत्र सं0–नि0नि0ब0(कैम्प)/2018/ तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को उक्त तिथियों में प्रशिक्षण हेतु सभागार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।
6. श्री अजय सिंह, प्रशिक्षण समन्वयक, यू0पी0एल0सी0, लखनऊ को प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में।
7. गार्ड फाइल।

निदेशक,(नियोजन एवं बजट)